न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /30/2014

1–विमला पुत्री श्री रामकिशन पत्नी श्री जगवीर जाति जाट निवासी तुहिया तहसील व जिला भरतपुर हाल निवासी खेडली गडासिया तहसील बयाना
2–त्रिवेणी पुत्री श्री रामकिशन पत्नी श्री हुकमसिंह जाति जाट निवासी खेडली गडासिया तहसील बयाना जिला भरतपुर

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1–ढकेली पत्नी श्री रामकिशन जाति जाट निवासी तुहिया तहसील भरतपुर
2–राममूर्ति पुत्री श्री रामकिशन पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी मैदाखेडा तहसील लक्ष्मनगढ जिला अलवर
3–पूरनदेई पुत्री रामकिशन पत्नी मौरध्वज जाति जाट निवासी मैदाखेडा तहसील लक्ष्मनगढ जिला अलवर
4–हरदेई पुत्री रामकिशन पत्नी श्री निप्पी जाति जाट निवासी निवासी मैदाखेडा तहसील लक्ष्मनगढ जिला अलवर
5– तहसीलदार भरतपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश न्यायालय नायव तहसीलदार भरतपुर दिनांक 10.10.1991 बाबत नामान्तकरण संख 101 ग्रांम तुहिया ।

उपस्थितः–
1–श्री दिलीप सिंह, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–श्री सुभाष लवानिया अभिभाषक रेस्पो–2,3
3–श्री जयप्रकाश मीना अभिभाषक रेस्पो.नं.1,4
4–पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 20.11.2024**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ नामान्तकरण संख्या 101 दिनांक 10.10.1991 ग्रांम धौर तहसील भरतपुर पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 101 दिनांक 10.10.1991 मृतक रामकिशन पुत्र भूरी सिंह की विरासत का पत्नी मु0 ढकेली बेवा रामकिशन कोम जाट के हक में नायव तहसीलदार भरतपुर ने स्वीकार किया है। उक्त नामान्तकरण से व्यथित होकर अपीलान्टान ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 9.5.2014 को पेश की है।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पो. की तलबी की गई। रेस्पो. संख्या 2व3 की ओर से जबाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलार्थीगण के पिता स्व0 रामकिशन की मृत्यू के बाद आराजी पर केवल उनकी विधवा पत्नी रेस्पो0 संख्या 1 के नाम नामान्तकरण स्वीकार किया गया है, जब कि स्व0 रामकिशन के विरासत में अपीलान्टान एवं रेस्पो0 प्रथम श्रेणी के वारिसान हैं, उनकी छोडी गई आराजी पर अपीलान्टान एवं रेस्पो0 सभी बहिस्सा बराबर के उत्तराधिकारी हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने केवल रेस्पो.संख्या 1 के नाम ही नामान्तकरण स्वीकार कर गलती की है। अपीलान्टस ने एवं रेस्पो. संख्या 2 लगायत 4 ने अपनी कोई सहमति भी नहीं दी है। तहत न्यायालय ने कोई नोटिस जारी नहीं किये हैं। तहत न्यायालय को वारिसान की जांच करनी चाहिये थी। योग्य अभिभाषक ने अपील का देरी के सम्बन्ध में बताया कि दिनांक 5.4.2014 को हल्का पटवारी के बताने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई, नकल वगे. लेकर अपील जानकारी दिनांक से अन्दर म्याद पेश की गई है, देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। देरी को माफ करते हुये अपील अपीलान्टस स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने नामान्तरण सही स्वीकार किया है, अपील खारिज की जावे।

पैरोकार सरकार ने जाहिर किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण दिनांक 10–10–1991 को स्वीकार किया गया है। सन् 1991 में पिता की सपत्ति में पुत्रीयों को अधिकार नही था। नामान्तकरण सही दर्ज किया गया है। अपील काफी विलम्ब 23 साल बाद पेश की गई हैं। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। अपीलान्टस द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 101 आदेश तारीखी 10.10.1991 की यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 9.5.2014 यानि लगभग 23 साल बाद पेश की गई है। अपील की देरी को माफ करने के लिये अपीलान्टास ने म्याद

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर